

परियोजना का नाम:— जनपद देहरादून में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पुरकुल गांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (कुल लम्बाई -10.400 किमी०) के नव निर्माण हेतु 3.528 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (आरक्षित वन भूमि- 2.345 है० तथा सिविल सोयम वन भूमि- 1.183 है० कुल 3.528 है०) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास V के अन्तर्गत आता है"।

उपरोक्तानुसार वर्तमान कार्ययोजना में उक्त वन क्षेत्र का घनत्व 0.2 से 0.4 है। प्रस्तावित स्थल का अधिकतम घनत्व ^{0.4} के आधार पर एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन किया गया है। जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति हैक्टर दर रू० 8,45,000=00(रू० आठ लाख पैंतालीस हजार) मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० धनराशि का आगणन रू० 29,81,160=00(रू० उन्नतीस लाख इक्कासी हजार एक सौ साठ मात्र) किया गया है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी